

कार्यालय कलेक्टर जिला-गरियाबंद एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

// अधिसूचना //

क्रमांक / 2598/भू-अर्जन/2020

गरियाबंद, दिनांक 27/01/2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/वर्ष 2018-19 - चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित निजी भूमि की पाण्डुका-जतमई-घटारानी-गायडबरी-मड़ेली-मुड़ागांव मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (जिसे एतद पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि इस भूमि का उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन:-

01/-	जिला	-	गरियाबंद
02/-	तहसील	-	छुरा
03/-	नगर/ग्राम	-	सांकरा
04/-	क्षेत्रफल	-	0.136 हेक्टेयर

स.क्र.	खसरा नं.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	148	0.002
2	163	0.001
3	179	0.002
4	181	0.007
5	619	0.001
6	978 / 1	0.005
7	977 / 1	0.018
8	985 / 1	0.041
9	987	0.026
10	978 / 2	0.015
11	978 / 3	0.001
12	989	0.004
13	991	0.013
	योग	0.136

02/- भूमि का नक्शा/प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) छुरा के कार्यालय में किया जा सकता है।

03/- प्रस्तावित भू-अर्जन से किसी भी प्रभावित व्यक्ति/परिवार का विस्थापन निहित नहीं है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(नितेश कुमार क्षीरसागर)
कलेक्टर गरियाबंद
एवं पदेन उप सचिव छ.ग. शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

भू-अर्जन अधिकारी

- 01 / - सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
- 02 / - अनुविभागीय अधिकारी(रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी छुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मूल प्रकरण सहित अग्रेषित।
- 03 / - नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ। कृपया इस अधिसूचना को राजपत्र के भाग-एक में प्रकाशितकर एक प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 04 / - परियोजना प्रबंधक, ए.डी.बी. प्रोजेक्ट, छ0ग0 राज्य सड़क क्षेत्र परियोजना, लोक निर्माण विभाग, रायपुर को सूचनार्थ। इस अधिसूचना का प्रकाशन दो सैनिक समाचार पत्र में कराकर समाचार पत्र की प्रति अनुविभागीय(रा0) एवं भू-अर्जन अधिकारी छुरा को उपलब्ध करावें।
- 05 / - प्रभारी अधिकारी(एन.आई.सी.) जिला गरियाबंद को सूचनार्थ। इस अधिसूचना को छ0ग0 शासन, राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के वेबसाइट एवं स्थानीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
- 06 / - तहसीलदार, छुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। प्रथम प्रति तहसील कार्यालय के सूचना फलक पर द्वितीय प्रति संबंधित ग्राम के सार्वजनिक स्थल पर चस्पा करें। तृतीय प्रति संबंधित ग्राम में मुनादी उपरांत ग्रामवासियों के हस्ताक्षर सहित 01 सप्ताह में अनुविभागीय अधिकारी(रा0), छुरा को उपलब्ध करावें।



[Handwritten Signature]
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
एवं भू-अर्जन अधिकारी छुरा